

न्यायालय:- अमनदीपसिंह छाबडा, व्यवहार न्यायाधीश
वर्ग-2 बैहर, जिला-बालाघाट म.प्र.

व्यवहार वाद क.-77ए/2015

संस्थित दिनांक-06.06.2011

1. अब्दुल सोयेब पिता स्व. अब्दुल कदीर उम्र-47 वर्ष,
 2. अब्दुल शमीम पिता स्व. अब्दुल कदीर उम्र-45 वर्ष,
 3. अब्दुल मोबीन पिता स्व. अब्दुल कदीर उम्र-40 वर्ष,
 4. शकीला पिता स्व. अब्दुल कदीर उम्र-43 वर्ष,
 5. अफसाना पिता स्व. अब्दुल कदीर उम्र-35 वर्ष,
 6. रेशमा पिता स्व. अब्दुल कदीर उम्र-38 वर्ष,
 7. अब्दुल सलीम पिता स्व. अब्दुल सत्तार उम्र-55 वर्ष,
 8. अब्दुल हकीम पिता स्व. अब्दुल सत्तार उम्र-52 वर्ष,
 9. अब्दुल हमीद पिता स्व. अब्दुल सत्तार उम्र-41 वर्ष,
 10. अब्दुल हनीफ पिता स्व. अब्दुल सत्तार उम्र-49 वर्ष,
 11. अब्दुल रहीम पिता स्व. अब्दुल सत्तार उम्र-48 वर्ष,
 12. कनिजा पिता स्व. अब्दुल सत्तार उम्र-57 वर्ष,
 13. समा पिता स्व. अब्दुल सत्तार उम्र-45 वर्ष,
- सभी निवासी-परसवाड़ा, तहसील बैहर,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

.....वादीगण

:: विरुद्ध ::

1. नायब तहसीलदार, परसवाड़ा,
तहसील बैहर/परसवाड़ा, जिला-बालाघाट,
2. श्रीमान् कलेक्टर महोदय बालाघाट,
जिला बालाघाट,
3. पटवारी हल्का नंबर-14/6 ग्राम परसवाड़ा
तहसील बैहर/परसवाड़ा
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

.....प्रतिवादीगण

:: निर्णय ::

(आज दिनांक- 25/02/2017 को पारित किया गया)

01- यह वाद वादीगण के आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर-206/1 रकबा 0.03 डिसमिल, ख.नं.-206/3 रकबा 0.15 डिसमिल, खसरा नंबर-206/4 रकबा 0.01, कुल रकबा 0.19 डिसमिल स्थित मौजा परसवाड़ा, प.ह.नं.-6 रा.नि.मं. परसवाड़ा व तहसील बैहर जिला बालाघाट की भूमि (अत्पश्चात् विवादित भूमि) में प्रतिवादीगण को अवैध हस्तक्षेप से निषेधित किये

जाने बाबत प्रस्तुत किया है। माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 03/03/14 के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर और वादग्रस्त भूमि के संबंध में राजस्व निरीक्षक को कमिश्नर नियुक्त कर सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण का नये सिरे से निराकरण किया जा रहा है।

02— संक्षेप में वाद यह है कि विवादित भूमि का पुराना लैण्ड रिकार्ड नंबर-237/4 था जो परिवर्तित होकर 206 हुआ, जो वर्तमान में 206/1, 206/3, 206/4 है, जिसकी कुल भूमि 0.19 डिसमिल है, पूर्व में यह रकबा 0.24 डिसमिल था जिसमें से 0.05 डिसमिल भूमि स्व. अब्दुल सत्तार के द्वारा श्रीमती कंचन मोदी को पूर्व में विक्रय कर दिया गया था। उक्त भूमि वादीगण की खानदानी भूमि है, जिस पर 100 वर्षों से कब्जा एवं मालिकी चली आ रही है और मकान तथा हाथबाड़ी स्थित है और उक्त भूमि से कभी-भी शासन द्वारा हटाये जाने की कार्यवाही नहीं की गई किंतु वर्तमान में नायब तहसीलदार परसवाड़ा प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा वादीगण को उक्त भूमि, मकान से उसका कब्जा हटा लेने हेतु उक्त भूमि से लगे हुए अन्य खसरा नंबर-208 की घास मंद की भूमि पर कब्जा होने का झूठा कथन करके प्रकरण दर्ज कर नोटिस दिया गया। वादीगण द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया तो मौखिक रूप से कहा गया कि उनकी भूमि स्वामी हक की भूमि को नहीं जानते, हम तुम्हारे मकान हाथा-बाड़ी का कब्जा हटाकर रहेगें नहीं तो अपने आप कब्जा हटा लो जिस पर वादीगण ने कहा कि हमारी खानदानी 0.19 डिसमिल भूमि है, उक्त भूमि नाप कर बता दो और यदि उक्त भूमि से अलग आपकी भूमि खसरा नंबर-208 की भूमि पर यदि उनका कोई अनाधिकृत कब्जा पाया जाता है तो वे स्वयं हटा लेंगे परंतु वे नहीं माने और कहने लगे मौके पर 0.01 डिसमिल भूमि है, इस कारण वे पूरा मकान, दुकान हटा देंगे।

03— वादीगण के द्वारा इसके पूर्व ही उक्त विवादित भूमि 0.19 डिसमिल पर किसी प्रकार का राजनीतिक एवं शासकीय अथवा अन्य लोगों का कोई हस्तक्षेप भविष्य में न आवे इसलिए दिनांक-07.08.07 को नायब तहसीलदार परसवाड़ा के आदेशानुसार और उनके मार्गदर्शन में पटवारी द्वारा सीमांकन करवाया गया और मौके पर सीमांकन से वादी की 0.19 डिसमिल भूमि पर सीमांकन में वादीगण का मकान हाथा-बाड़ी पाया गया एवं अन्य भूमि पर कब्जा नहीं पाया गया।

04— वादीगण के खानदानी भूमि का खसरा नंबर-237/4 था जो बदलकर 206 हुआ जिसका राजस्व नक्शा 1963 की चकबंदी के अनुसार खसरा नंबर-237/4 का रकबा 1963 की चकबंदी नक्शा में जो ऐरिया दर्शित है, उस अनुसार वर्तमान नक्शे में दर्ज नहीं है और इस कारण वर्तमान नक्शे के अनुसार वादीगण की हक की भूमि का कुछ भाग उक्त खसरा नंबर-208 के घास भूमि को दर्शाता है, और यह सब शासन द्वारा उसके राजस्व नक्शों में गलती होने के कारण प्रतीत होता है, और इसी कारण से वादीगण की ओर से उक्त एस.बी.सात (7) रीनंबरिंग पर्चा, किश्त बंदी नक्शा एवं वर्तमान नक्शा को मिलान करके उक्त त्रुटि को सुधार करने हेतु श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व बैहर के न्यायालय में दिनांक-04.06.11 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 को नक्शा एवं रिकार्ड दुरुस्ती करने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया गया जिसमें प्रतिवादी क्रमांक-1 के न्यायालय में जांच लंबित है, परंतु प्रतिवादीगण के द्वारा उचित जांच एवं सुनवाई किये बिना उनके वैध आधिपत्य की भूमि पर अवैध हस्तक्षेप करते हुए निर्माण कार्य तोड़ने की संभावना है अतएव उन्हें अस्थाई रूप से निषेधित किये जाने की याचना की है।

05— प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादपत्र को सारभूत रूप से अस्वीकार करते हुए विशेष कथन किये हैं कि वादीपक्ष द्वारा शासकीय घास मद की भूमि खसरा नंबर-208 पर अतिक्रमण करते हुए अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया है एवं वादीगण उनके हक मालिकी में स्थित भूमि के आड़ में शासकीय भूमि को हड़प करने के आशय से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर रहे हैं एवं वादी क्रमांक-9, 10, 11 को शासकीय भूमि ख.नं. 208 जो घास मद की है जिस कारण से वादीगण के विरुद्ध अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर विधिवत् प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है एवं शासकीय भूमि रिक्त कराने का आदेश समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए नायब तहसीलदार परसवाड़ा के द्वारा पारित किया गया है एवं माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए शासकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया है और अतिक्रमण न हटाना पड़े एवं वादी का कब्जा बर-करार रखने के लिये झूठे तथ्यों के आधार पर यह झूठा दावा पेश किया है एवं दावा पोषणीय न होने से एवं वादीपक्ष द्वारा वाद महज परेशान करने एवं विधिक बाधा उत्पन्न करने के आशय से प्रस्तुत दावा सब्यय निरस्त किये जाने की याचना की गई है।

06— उभयपक्ष के अभिवचन के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये थे जिनके निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे हैं:-

क मांक	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या वादी विवादित भूमि ख.नं.-206/1 रकबा-0.03 डिसमिल ख.नं.-206/3 रकबा 0.15 डिसमिल एवं ख.नं.-206/4 रकबा 0.01 डिसमिल मौजा परसवाड़ा प. ह.नं-6 रा.नि.मं. परसवाड़ा तहसील-बैहर जिला बालाघाट का वैध अधिपत्यधारी है ?	“ प्रमाणित ”
2	क्या प्रतिवादीगण विधि के सम्यक् अनुक्रम का पालन किये बिना वादी के वैध आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप कर रहे हैं ?	“ प्रमाणित ”
3	सहायता एवं वाद व्यय ?	कंडिका 17 के अनुसार वाद डिक्री।

विवादक प्रश्न कमांक 01 का निष्कर्ष:-

07— अब्दुल रहीम (वा.सा.01) ने अपने मुख्य परीक्षण शपथ पत्र में कथन किया है कि वह और उसके संयुक्त मुस्लिम परिवार के सदस्य अन्य वादीगण अब्दुल शोयेब, अब्दुल शमीम, अब्दुल मोबीन, शकीला, अफसाना, रेशमा, अब्दुल सलीम, अब्दुल हकीम, अब्दुल हमीद, अब्दुल हनीफ, कनिजा, शमा के सामिल सरीक हिस्से तथा कब्जे में ग्राम परसवाड़ा प0ह0नं0 6 में खसरा नम्बर 206/1 रकबा 0.03 डिसमिल, खसरा नम्बर 206/3 रकबा 0.015 डिसमिल तथा खसरा 206/4 रकबा 0.01 डिसमिल भूमि स्थित है। जिसमें उसका तथा अन्य वादीगण का मकान एवं दुकान स्थित है। जिस पर वह लोग उक्त मकानों में अपने परिवार सहित निवास कर एवं दुकान लगा कर व्यवसाय करते चले आ रहे हैं। उक्त विवादित भूमि का पुराना लैंड रिकार्ड नं.237/04 था। जो परिवर्तित होकर खसरा नं. 206 हुआ और वर्तमान में खसरा नंबर 206/01, 206/03, 206/04 है जिसकी कुल भूमि 0.19 डिसमिल है। उक्त भूमि का पूर्व रकबा 0.24 डिसमिल था। परन्तु पिता स्व. अब्दुल सत्तार द्वारा 0.05 डिसमिल भूमि श्रीमति कंचन मोदी को विक्रय करने के कारण वर्तमान में 0.19 डिसमिल भूमि बची है। उक्त विवादित भूमि वादीगण की खानदानी भूमि है, जिस पर उनकी अपने पूर्वजों के समय से लगातार लगभग पिछले सौ वर्षों से कब्जा व मालिकी चली आ रही है।

08— अब्दुल रहीम (वा.सा.01) के अनुसार उक्त भूमि का राजस्व नक्शा सन् 1963 की चकबंदी के अनुसार खसरा नं 237/04 दक्षिण की ओर पी.डब्ल्यू.डी. सड़क से लगी हुई भूमि है। परन्तु उक्तानुसार वर्तमान नक्शे में दर्ज नहीं है। क्योंकि वादी की बगैर सहमति के नक्शा तब्दील कर दिया गया है, और वर्तमान नक्शे के अनुसार वादीगण के उक्त भू-स्वामी हक के खानदानी हक की कुछ भूमि खसरा नंबर 208 की घांस-भूमि दर्शाता है। तथा इस कारण प्रतिवादीगण द्वारा उनके विरुद्ध अवैध अतिक्रमण की कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा अपने राजस्व नक्शे में गलती करने के कारण ऐसा प्रतीत होता है, और इसी कारण उनके द्वारा उक्त एस.बी.-7 रिनंबरिंग पर्चा के अनुसार पुराना लैंड रिकार्ड 237/4 क्रमांक सन् 1963 की चकबंदी के नक्शे के आधार पर वर्तमान राजस्व नक्शे का मिलान करके उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में आवेदन पत्र दिनांक-04.06.2012 प्रस्तुत किया गया। जिसको अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर द्वारा ज्ञापन क्रमांक 1332-अ-वी-अ/2011 बैहर दिनांक 10.06.2011 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 नायब तहसीलदार परसवाड़ा को उक्त आवेदन अनुसार वर्तमान नक्शे में रिकार्ड दुरस्ती हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जांच प्रतिवादी क्रमांक 01 के न्यायालय में लंबित है।

09— अब्दुल रहीम (वा.सा.01) के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 17/अ-68/2010-11 का नोटिस वादी क्रमांक 09 अब्दुल हमीद को, राजस्व प्रकरण क्रमांक 38/अ-68/2010-11 का नोटिस वादी क्रमांक 10 अब्दुल हनीफ को एवं राजस्व प्रकरण क्रमांक 39/अ-68/2010-11 का नोटिस उसे खसरा नंबर 208 की भूमि पर अवैध कब्जा होना बताकर दिया गया है और दिनांक 04.06.2011 को पुनः कथित अतिक्रमण हटा लेने अन्यथा दिनांक 07.06.2011 को पुलिस बल तैनात कर मौके से कथित अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया जाकर धमकी दी गई थी। दिनांक 27.05.11 को वादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी क्रमांक 01 द्वारा मौके पर वादीगण की मात्र 0.01 डिसमिल भूमि होने के कारण कब्जा हटाने की धमकी दी गयी थी। जिससे वादीगण को अंदेशा हो गया कि प्रतिवादीगण उक्त गलत नक्शे के आधार पर विवादित भूमि पर स्थित मकान तथा दुकान को तोड़कर उनका कब्जा हटा देंगे क्योंकि गांव के अन्य व्यक्तियों द्वारा भी वादीगण का कब्जा हटाने हेतु राजनैतिक दबाव बनाया जा रहा है।

10— अब्दुल रहीम (वा.सा.01) के अनुसार दिनांक 07.08.2007 के सीमांकन के आधार पर वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कोई अवैध अतिक्रमण न होकर सही कब्जा पाया गया। विवादित भूमि पर स्थित निवास तथा दुकान से रोजगार वादीगण का मात्र एक सहारा है और यदि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त मकान और दुकान को तोड़कर कब्जा हटा दिया जाता है तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी भरपायी होना संभव नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना उचित जांच के विधि विरुद्ध रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत उनके आधिपत्य में अवैध रूप से हस्तक्षेप किया जा रहा है जो स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोके जाने योग्य है।

11— वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में विवादित भूमि का सन 1963 की चकबंदी पर से नक्शा प्र.पी.01, अधिकार अभिलेख सन 1963-64 प्र.पी.02, किस्तबंदी पर्चा प्र.पी.03, पंचनामा प्र.पी.04, फील्ड-बुक प्र.पी.05, नक्शा दिनांक 20.07.11 प्र.पी.06, खसरा प्र.पी.07 तथा खसरा प्र.पी.08 प्रस्तुत किया है। वादी के कथनों का समर्थन रघुवीर रामावत (वा0सा02) ने अपने मुख्यपरीक्षण शपथ पत्र में किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 206/1, 206/3, 206/4 कुल 0.19 डिसमिल भूमि पर उनका आधिपत्य दर्शित होता है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि पर वादीगण के आधिपत्य को किस प्रकार की चुनौती नहीं दी गयी है जिससे यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 206/1, 206/3, 206/4 पर वादीगण का वैध आधिपत्य है। फलस्वरूप विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवाद्यक प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष:-

12— प्रतिवादीगण के अनुसार वादीपक्ष द्वारा शासकीय घास मद की भूमि खसरा नंबर-208 पर अतिक्रमण करते हुए अवैध रूप से निर्माण कार्य किया गया है एवं वादीगण उनके हक मालिकी में स्थित भूमि के आड़ में शासकीय भूमि को हड़प करने के आशय से शासकीय भूमि पर अतिक्रामक कब्जा कर रखे हैं एवं वादी क्रमांक-9, 10, 11 के विरुद्ध शासकीय भूमि ख.नं. 208 जो घास मद की है, अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज कर विधिवत् प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है एवं शासकीय भूमि रिक्त कराने का आदेश समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए नायब तहसीलदार परसवाड़ा के द्वारा पारित किया गया है।

13— डी.एस काकोरिया (प्र.सा.01) अनुसार उनके पूर्व प्रभारी नायब तहसीलदार राजेश मरावी को संबंधित क्षेत्र के पटवारी द्वारा खसरा नम्बर 208 तहसील परसवाड़ा में शासकीय भूमि पर वादी को दिनांक 09.10.11 एवं अन्य लोगों द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर उनके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की गयी। विधिवत कार्यवाही में राजेश मरावी द्वारा अतिक्रमण का प्रकरण पंजीबद्ध कर उनके द्वारा दिनांक 09.10.11 को सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक कार्यवाही की गयी। दिनांक 03.06.11 को राजेश मरावी द्वारा वादी क्रमांक 09, 10 एवं 11 के विरुद्ध अतिक्रमक कब्जा हटाये जाने के आदेश पारित किये गये जिसकी सूचना दूसरे दिन उक्त पक्षकारों को दी गयी परंतु कार्यवाही के पूर्व वादीगण द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर देने के कारण कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई। श्री राजेश मरावी द्वारा विधिवत पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए कार्यवाही की गयी जिसका उल्लेख उक्त राजस्व प्रलेखों के आदेश पत्रिका में है। अभिवचन के समर्थन में साक्षी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 17 की आदेश पत्रिका प्र.डी.01, नक्शा प्र.डी.02, पटवारी का प्रतिवेदन प्र.डी.03, कारण बताओ नोटिस प्र.डी.04, नक्शा प्र.डी.05, राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.11 प्र.डी.06 की सत्य प्रतिलिपि, राजस्व प्रकरण क्रमांक 38 की आदेश पत्रिका प्र.डी.07, पटवारी प्रतिवेदन प्र.डी.09, राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.11 की सत्य प्रतिलिपि प्र.डी.10, राजस्व प्रकरण क्रमांक 39 की आदेश पत्रिका प्र.डी.11, पटवारी प्रतिवेदन प्र.डी.12, नक्शा प्र.डी. 13, कारण बताओ नोटिस प्र.डी.14, राजस्व न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.11 की सत्यप्रति प्र.डी.15 पेश की गयी है।

14— वादी अब्दुल रहीम वा0सा01 के अनुसार विवादित भूमि का पूर्व खसरा नम्बर 237/4 था जो बदलकर खसरा नम्बर 206 हुआ। वर्ष 1963 की चकबंदी के अनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 237/4 के नक्शे में दक्षिण की ओर उक्त भूमि पी.डब्ल्यू.डी. सड़क से लगी हुई है जो वर्तमान नक्शे में दर्ज नहीं है। उनकी बगैर सहमति के नक्शा तबदील कर दिया गया है जिसके कारण वादीगण के भूमि स्वामि हक की खानदानी भूमि का कुछ भाग खसरा नम्बर 208 की घांस मद की भूमि दर्शाता है। इस कारण प्रतिवादीण द्वारा उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। जबकि यह सभी शासन द्वारा अपने राजस्व नक्शे में गलती करने के कारण होना प्रतीत होता है और इस हेतु उनके द्वारा एस.बी.-7 रिनंबरिंग पर्चा के अनुसार पुराने लैंड नम्बर 237/4 सन् 1963 की चकबंदी के आधार पर वर्तमान राजस्व नक्शे का मिलान करके

उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिनांक 04.06.11 प्रस्तुत किया गया है। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैहर के द्वारा ज्ञापन क्रमांक 1332 अ-वी-अ/2011 बैहर दिनांक 10.06.11 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 नायब तहसीलदार परसवाड़ा को उक्त आवेदन के अनुसार वर्तमान नक्शा एवं रिकार्ड दुरुस्ती हेतु ज्ञापन पेशित किया था जिसकी जांच प्रतिवादी क्रमांक 01 के न्यायालय में लंबित है।

15— प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 06.08.07 संलग्न है, जिसमें वादीगण का स्वयं की भूमि पर आधिपत्य होकर शासकीय भूमि खसरा नम्बर 208 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने का कथन किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण में उक्त शासकीय भूमि खसरा नम्बर 208 का किसी प्रकार का सीमांकन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे यह दर्शित हो सके कि वादीगण द्वारा उक्त शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर राजस्व निरीक्षक परसवाड़ा द्वारा वादग्रस्त भूमि 206/1, 206/3, 206/4 तथा 208 का दिनांक 17.01.17 को उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमांकन कर दिनांक 18.01.17 को न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार “खसरा पांच साला में खसरा नम्बर 208 का रकबा 49 डिसमिल है जो कि मौके पर नापने पर भी सही होता है। परंतु उसका नक्शा 70 डिसमिल का बना हुआ है। खसरा नम्बर 206 का कुल रकबा 24 डिसमिल अभिलेखों में दर्ज है तथा खातेदार भी मौके पर 24 डिसमिल पर ही काबिज है। शासकीय भूमि खसरा नम्बर 206 का नक्शा पटवारी खसरा में दर्ज कुल रकबे से बड़ा होने तथा वादीगण की भूमि का नक्शा उनके भूमि स्वामी हक की भूमि के कुल रकबे से छोटा होने के कारण वादीगण का कब्जा शासकीय भूमि खसरा नम्बर 208 में होना प्रतीत होता है परंतु यदि दर्ज रकबा 0.24 डिसमिल के आधार पर आंकलन किया जावे तो मौके पर वादीगण का कब्जा उचित है। वादीगण को अपने कुल रकबे के आधार पर पटवारी नक्शा दुरुस्त कराना आवश्यक है। पटवारी अभिलेख में दर्ज रकबे के आधार पर नक्शा रिकार्ड दुरुस्ती हो जाने पर वादीगण अतिक्रमण के दायरे में नहीं आयेंगे।”

16— उक्त सीमांकन प्रतिवेदन उभयपक्ष ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया है। वादी अब्दुल रहीम वा0सा01 ने कंडिका 02 में कथन किया है कि नक्शा एवं रिकार्ड दुरुस्त होने हेतु ज्ञापन पेशित किया था जिसकी जांच

प्रतिवादी क्रमांक 01 के न्यायालय में लंबित है। कंडिका 08 में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि नक्शा गलत होने की त्रुटि सुधार हेतु उन्होंने आवेदन दिया है जिसकी प्रति भी पेश की है। परंतु वादीगण द्वारा प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। तथापि उक्त सीमांकन प्रतिवेदन स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा शासकीय भूमि खसरा नम्बर 208 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण बताकर वादीगण को आधिपत्य विहीन करने की कार्यवाही स्वीकृत है। जिससे सिद्ध होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वैध आधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप विवादक क्रमांक 02 का निष्कर्ष प्रमाणित के रूप में दिया जाता है।

विवादक प्रश्न क्रमांक 03 सहायता एवं व्यय

17— उपरोक्त विवेचना के परिणाम स्वरूप वादीगण वाद प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। फलतः उनकी ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर उनके पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है।

1— प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर-206/1 रकबा 0.03 डिसमिल, ख.नं.-206/3 रकबा 0.15 डिसमिल, खसरा नंबर-206/4 रकबा 0.01, कुल रकबा 0.19 डिसमिल स्थित मौजा परसवाड़ा, प.ह.नं.-6 रा.नि. मं. परसवाड़ा व तहसील बैहर जिला बालाघाट के संबंध में वादीगण के आधिपत्य में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से हस्तक्षेप करने हेतु स्थायी रूप से निषेधित किया जाता है।

2— वाद व्यय प्रतिवादीगण द्वारा वहन किया जायेगा।

3— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा नियमानुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

4— तदनुसार आज्ञा तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर, मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो
बैहर बालाघाट म.प्र.

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-दो
बैहर बालाघाट म.प्र.